उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-24/2024/सा-3-303/दस-2024/301(1)/2024
लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त, 2024

कार्यालय-ज्ञाप/स्पष्टीकरण

विषय- ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के अधीन कवर किए जाने के लिए विकल्प देने के संबंध में।

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 में यह प्रावधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को जिन्हें उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस) की अधिसूचना की तिथि अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस) के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाए।

2- ऐसे कर्मचारियों, जो उपरोक्त शासनादेश के जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन पर शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के प्रावधान लागू होने से संबंधित स्पष्टीकरण मांगने वाले संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-. 57/03/2022-पी & पीडब्ल्यू (बी)/8361(1) दिनांक 20.10.2023 सपठित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-. 57/05/2021-पी & पीडब्ल्यू (बी)/8860 दिनांक 09.04.2024 में की गयी व्यवस्था के अनुसरण में स्थिति निम्नवत स्पष्ट की जाती है :-

(1) ऐसे कर्मचारी, जो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए अन्यथा पात्र हैं और जो शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के निर्गत होने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को दिनांक 28.06.2024 के उपरोक्त शासनादेश का लाभ दिये जाने पर रोक नहीं है। चूंकि, ऐसे मामले में कर्मचारी पहले ही एन.पी.एस के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त कर चुका है और यदि वह "उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र पाया जाता है, तो उसे एन.पी.एस के अंतर्गत प्राप्त किये जा चुके सरकारी अंशदान और उस पर प्रतिफल को सरकारी कर्मचारी द्वारा ब्याज सहित राजकोष में जमा किया जाना होगा।

(2) वापस की जाने वाली धनराशि पर ब्याज की गणना, नियोक्ता अंशदान एवं उस पर प्रतिफल की धनराशि की प्राप्ति की तिथि से सरकार को धन वापस करने अर्थात राजकोष में धनराशि जमा किये जाने की तिथि तक के लिए, सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ) पर यथा लागू दर पर और रीति से की जाएगी।

(3) कर्मचारियों की अधिवर्षता/सेवानिवृत्ति की तिथि के अगले दिन से पेंशन स्वीकृत की जाती है, अर्थात यदि कर्मचारी 31.01.2023 से अधिवर्षता पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हुआ हो, तो पेंशन अगली तिथि अर्थात 01.02.2023 से प्रारम्भ हो जाएगी।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत कवर करने के लिए, उनका जी.पी.एफ खाता खोलने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(5) यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा एन.पी.एस. खाते में संचित धनराशि नहीं निकाली गई है, तो एन.पी.एस खाता बंद कर दिया जाएगा और निकासी के समय निधि में प्रतिलाभ के साथ सरकारी अंशदान सरकारी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा और ऐसी रकम पर किसी प्रकार का ब्याज अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-सा-3-303(1)/दस-2024/301(1)/2024 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2). समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(3). समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(4). महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5). निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6). निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7). समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in